ग्राम पंचायत कलाहोड़, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मंडी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कलाहोड़, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मंडी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति शीला देवी	01.04.14 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति प्रेम लता	01-04-14 से 28-11-16 तक
2	श्री रमेश	29-11-16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कलाहोड़, विकास खण्ड सुंदर नगर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1व 4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर पाया जाना	0.76
2	5	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.53
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	22.23
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.42
5	8	क्रय मदों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	14.65

भाग - दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कलाहोड़, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मण्डी के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी एवं श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.02.18 से 23.02.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	09/2014	08/2014
2015-16	03/2016	06/2015
2016-17	03/2017	01/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत कलाहोड़, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 23.02.18 द्वारा अनुरोध किया गया I

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत कलाहोड़, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत कलाहोड़, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	333815.58	30925	364740.58	13588	351152.58
2015-16	351152.58	61041	412193.58	39698	372495.58
2016-17	372495.58	86464	458959.58	32005	426954.58

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत कलाहोड़, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	96382.69	7144784	7241166.69	6925226.11	315940.58
2015-16	315940.58	3715890	4031830.58	2837325	1194505.58
2016-17	1194505.58	4079427.22	5273932.80	3051120.09	2222812.71

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹426954.58

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹2222812.71

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹2649767.29

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2572642.29

(परिशिष्ट-2)

दिनांक 31.03.17 को नकद शेष ₹883

अन्तर ₹76242

बैंक खाता संख्या	**राशि**
3250100137	2326230.29
3250100188	242201
1025104000009300	312
1025104000009294	3899
कुल योग	**₹2572642.29**

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। अतः पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 बैंक खातों में रोकड़ बहियों की तुलना में ₹0.76 लाख कम पाया जाना:-

समय पर रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण दिनांक 31.03.17 को ग्राम पंचायत के बिभिन्न बैंक खातों में रोकड़ बहियों की तुलना में ₹76242 कम जमा पाए। अंतर के कारणों की जांच करके अंत शेष का मिलान करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं. 01 दिनांक 22-02-18 द्वारा सचिव को निर्देश दिया गया, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई कार्रवाही नहीं की गई। अत: रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान किया जाए, अन्यथा इस कम पाई गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा कराई जाए तथा इस सम्बन्ध में की गई कारवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.53 लाख की वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर तथा मोबाइल टावर की निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत राजस्व ₹52970 वसूली हेतु शेष थी।

1 **गृहकर :** **(परिशिष्ट–3)**

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	12735	10340	23075	1965	21110
2015-16	21110	10920	32030	-	32030
2016-17	32030	10980	43010	40	42970

2 मोबाइल टावर फीस

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	2500	2500	5000	-	5000
2015-16	5000	2500	7500	-	7500
2016-17	7500	2500	10000	-	10000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

6 अनुदान ₹22.23 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक ₹2222812 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.42 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-4** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹442354 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 ₹14.65 लाख की क्रय मदों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई मदों के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत द्वारा भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय मदों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती । चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-5 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1465453 की क्रय की गई मदों का इन्द्राज भण्डार

रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई मदों का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 खाता बहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया गया कि पंचायत में वर्ष 2014-15 से 2016-17 में खाता **ब**हियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्ररूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता **ब**हियाँ तैयार करना अपेक्षित थी। जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी । अतः खाता **ब**हियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता **ब**हियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।

10 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था । इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये ।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखा**व** किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखा**व** नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
6. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।
7. बही खाते तैयार न करना ।
8. मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना ।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,

परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

14 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(xi) 58/2018 खण्ड–1–4102–4105 दिनांक04.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत कलौहड़, विकास खण्ड सुन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुन्दर नगर, जिला मण्डी हि0प्र0

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046